न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—287/2016/223 (2016/00287)

1. घीसासिंह पुत्र गेनासिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शम्भुपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत, ब्यावर खास, पंचायत समिति जवाजा, तह0ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 17.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 176/2012.

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील अपीलांट।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3.

निर्णय

दिनांकः— 21.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शम्भुपुरा पटवार क्षैत्र ब्यावर खास, तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 1238 रकबा 13 बिस्वा किस्म दांती, खसरा नंबर 1239 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा किस्म दांती, खसरा नंबर 1088 रकबा 2 बीघा किस्म दांती स्थित है, उक्त काश्तकारी जमीन शामलात देह की है, वादी घीसासिंह और उसके पूर्वज खेवटदार व भोम्या थे इसलिये खेवट के इस रकबे के अनुपात के आधार पर शामलात देह में वादी एवं उसके पर्वूजों का मालिकाना हक था । खसरा नंबर 1237 जो वादी की खातेदारी का है, उसी के लगते हुए विवादित भूमिया है जो कि भूसंशोधन के समय उक्त खसरा नंबर 1237 की खातेदारी मिली थी। विवादित भूमियों को चारागाह लिख दिया गया जबकि वास्तव में यह चारागाह नहीं होकर काश्त काबिल भूमि है, वादी का चयन फोज में हो गया था इसलिये पीछे से उसके परिवार वाले विवादित जमीन का इंद्राज खातेदारी में दर्ज नहीं करवा सके । वादी का अभिलिखित कब्जा संवत् 2015 अर्थात् 15.10.1955 से चला आ रहा है । वादी ने समय समय पर तहसीलदार ब्यावर द्वारा धारा 91 के तहत बेदखली नोटिस की

अनुपालना में जुर्माना भी अदा किया है । वादी को किसी ने बेदखल नहीं किया है । इस प्रार एडवर्स पजेशन से भी उसका अधिकार हो गया है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम शम्भुपुरा, तह0 ब्यावर स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 772 व नये खसरा नंबर 1238 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1239 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 763 जिसके नये खसरा नंबर 1088 रकबा 2 बीघा बने है जिस पर अपीलांट का कब्जा पिछले 54 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है जिस बाबत् अपीलांट ने मूल वाद में गिरदावरियां, पंचायत अर्था रेस्पो0 संख्या 1 से एन0ओ0सी0 आदि ले रखे है । उक्त आराजियात को अपीलांट ने काफी धन बल लगाकर भूमि को काबिल काश्त बनाया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विवाद होने पर वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम किया जाकर वादी की संपूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना एवं तत्पश्चात् प्रतिवादी के गवाहान के बयान लेखबद्ध किये जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों आदि पर मनन किया जाकर न्याय निर्णय किया जाना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की तथा न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना विवादित भूमि को चारागाह मानकर वाद खारिज कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि 30 वर्षो से पुराना कब्जा होने पर कब्जाधारी को खातेदारी दिया जाना आवश्यक है जबकि अपीलांट 54 वर्षो से विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी बाबत् ग्राम पंचायत ब्यावर खास ने अपने कोरम की बैठक में भी प्रस्ताव लेकर उक्त भूमि जो अपीलांट के कब्जे काश्त में है को नियमन करने व खातेदारी देने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 20.4.2006 व 19.6.1997 को दिये है एवं वर्तमान में भी ग्राम पंचाायत को उक्त भूमि की खातेदारी अपीलांट को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत् प्रमाण पत्र दिया है । अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दिनांक 17.5.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ब्यावर में निर्णित किया है जबकि लोक अदालीत की भावना से प्रकरण को राजीनामा से ही निस्तारित किया जा अपेक्षित था किन्तु अधी0न्याया0 में उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा न करवाकर उक्त प्रकरण को प्रारंभिक स्तर पर ही विधिविरूद्ध एवं गैर कानूनी रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण दिनांक 17.5.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ब्यावर में निर्णित किया गया है जबकि लोक अदालत की भावना से प्रकरण को राजीनामा से ही निस्तारित किया जाना अपेक्षित था लेकिन अधी0न्याया0 में उक्त प्रकरण में किसी प्रकार

का राजीनामा न करवा कर उक्त प्रकरण को प्रारंभिक स्तर पर ही विधिविरूद्ध रूप से खाजिर किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 24.5.2016 से नकल मांग किये जाने के पश्चात् भी उक्त प्रकरण के निर्णय की नकल दिनांक 28.6.2016 को दी तत्पश्चात् अपीलांट ने फीस आदि की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित चारागाह भूमि है तथा चारागाह भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर अपीलांट को बेदखल किया गया है। चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सदभाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/अपीलांट ने विवादित भूमियों पर 54 वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां राजस्व रिकार्ड चारागाह दर्ज है तथा चारागाह भूमि पर नियमों में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है । जहां तक अपीलांट के निरन्तर कब्जे काश्त का प्रश्न है एडवर्स पजेशन के आधार पर भी नियमों में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर उसे बेदखल किया गया है जिससे भी उसका विवादित भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं पाते है ।

9. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर